न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1390–पीबीआर/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 21–4–2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर, प्रकरण कमांक 14/अपील/2013–14

रंजीत सिंह पुत्र गुरूमेल सिंह
निवासी ग्राम पुरानी छावनी तहसील व जिला ग्वालियर

..............आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती मंजीत कौर पत्नि इकवाल सिंह
निवास पुरानी छावनी तहसील व जिला ग्वालियर

.... अनावेदिका

श्री एस0के0वाजपेयी एवं श्री एस0एम0भान, अभिभाषकगण, आवेदक
श्री हारून खान, अभिभाषक, अनावेदिका

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 1/6/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–4–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि पुरानी छावनी ग्वालियर स्थित भूमि सर्वे कमांक 13 मिन–3 रकबा 1.254 हेक्टेयर की भूमिस्वामी श्रीमती गुरूमेज कौर पत्नी स्व0संतोष सिंह थी । उनकी मृत्यु उपरांत सहायक बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा प्रश्नाधीन भूमि नामान्तरण पंजी कमांक 17 पर पारित आदेश दिनांक 2–6–1999 से आवेदक का नामान्तरण स्वीकार किया गया । उक्त आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय

अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 12–9–2013 को आदेश पारित कर अपील अवधि बाह्य होने से निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 21–4–2014 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–9–13 एवं नामांतरण पंजी की प्रविष्टि कमांक 17 पर पारित आदेश दिनांक 2–6–1999 निरस्त किया जाकर मृतक भूमिस्वामी गुरूमेज कौर के स्थान पर अनावेदिका का नामान्तरण किये जाने के आदेश दिये गये । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्तागण की ओर से मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि सहायक बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–6–1999 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 28–7–2011 को लगभग 12 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील अवधि बाह्य मानकर निरस्त करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है और अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि जब अनावेदिका द्वारा एक सर्वे नम्बर पर दत्तक पुत्री होने के कारण नामान्तरण कराया गया तो शेष सर्वे नम्बरों पर नामान्तरण क्यों नहीं कराया गया । इस आधार पर कहा गया कि तहसील न्यायालय में अनावेदिका द्वारा नामान्तरण कराने का तथ्य झूठा है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदिका द्वारा दिन–प्रतिदिन के विलम्ब का कारण नहीं दर्शाया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि जब अनावेदिका द्वारा एक सर्वे नम्बर का नामान्तरण कराया गया तब अन्य सर्वे नम्बरों पर नामान्तरण की जानकारी अनावेदिका को नहीं होना संदेहास्पद है । इस आधार पर कहा गया कि अनावेदिका द्वारा लगभग पौने दो बीघा जमीन पर दत्तक पुत्री के आधार पर नामान्तरण कराकर अब आवेदक की भूमि पर भी नामान्तरण कराना चाहते हैं । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के पक्ष में जिन जिन भूमियों का नामान्तरण हुआ है और अनावेदिका के पक्ष में जिन जिन भूमियों का नामान्तरण हुआ है, वह पृथक–पृथक है और तहसीलदार के समक्ष नामान्तरण कार्यवाही में आवेदक पक्षकार नहीं रहा है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि पंजी के संधारण का कार्य राजस्व अधिकारियों का है और

बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश की सत्यप्रतिलिपि आवेदक के पास उपलब्ध है, अतः यह नहीं कहा जा सकता है कि बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा किसी प्रकरण में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है । उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा जाकर अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

तर्क के समर्थन में 2004(2) एलपीएलजे 392 एवं 1986 आरएन 5 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदिका के विद्वान अधिवक्ता की ओर से लिखित एवं मौखिक तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 62/1999–2000/अ–6 में दिनांक 28–10–2000 को आदेश पारित कर सर्वे क्रमांक 691 व 729 पर अनावेदिका का नामान्तरण स्वीकार किया गया है और उक्त नामान्तरण आदेश को चुनौती नहीं देने से वह अंतिम हो गया है ।

(2) अनावेदिका के पक्ष में हुये नामान्तरण आदेश की प्रति स्वयं आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गई है, अतः आवेदक को स्वीकार है कि सर्वे नम्बर 691 व 729 पर अनावेदिका का दत्तक पुत्री के आधार पर नामान्तरण स्वीकृत हुआ है ।

(3) आवेदक रंजीत सिंह का मृतक भूमिस्वामी गुरूमेज सिंह से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है और न ही रंजीत सिंह की पत्नी मंजीत सिंह का कोई संबंध है, अतः उन्हें प्रश्नाधीन भूमि में कोई हक प्राप्त नहीं होता है । नामान्तरण पंजी क्रमांक 17 पर दिनांक 2–6–1999 को अधिकारिता रहित आदेश पारित किया गया है और अनावेदिका के हितबद्ध पक्षकार होते हुये भी उसे न तो पक्षकार बनाया गया है और न ही सूचना दी गई है, इसलिये नामान्तरण नियम 27 का पालन नहीं किया गया है । जब अनावेदिका को उक्त नामान्तरण आदेश की जानकारी दिनांक 18–5–2011 को हुई, तब उसके द्वारा जानकारी के दिनांक से समय सीमा में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई थी, जिसे निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवैधानिकता की गई है ।

(4) कथित नामान्तरण दिनांक 2–6–99 को होने की जानकारी अनावेदिका को होने पर उसके द्वारा काफी प्रयास करने के बावजूद भी उक्त आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त नहीं

हुई है, बल्कि अभिलेखागार से इस आशय की टीप अंकित की गई है कि उक्त प्रकरण अभिलेखागार में जमा नहीं है । इस प्रकार उक्त नामान्तरण होना सिद्ध नहीं है और पटवारी द्वारा बिना नामान्तरण आदेश के फर्जी प्रविष्टि की गई है, अतः ऐसी प्रविष्टि प्रथमदृष्टया ही शून्यवत् होकर निरस्त किये जाने योग्य है ।

(5) आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दस्तावेज की छायाप्रति प्रस्तुत की गई थी जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राह्य योग्य नहीं माना है ।

(6) संहिता की धारा 47 में स्पष्ट उल्लेख है कि यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकरण में पक्षकार नहीं है अथवा आवश्यक पक्षकार होते हुये भी उसे पक्षकार नहीं बनाया गया है और नामान्तरण नियम 27 के अन्तर्गत व्यक्तिशः सूचना नहीं दी गई है, तब वह जानकारी के दिनांक से अपील प्रस्तुत करने हेतु सक्षम है । उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनावेदिका द्वारा नामान्तरण पंजी की प्रविष्टि कमांक 17 पर पारित आदेश दिनांक 2–6–1999 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 28–7–2011 को लगभग 12 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गई है, जो कि असाधारण विलम्ब है और अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र में जानकारी का स्त्रोत मृतक भूमिस्वामी गुरूमेज कौर के स्थान पर अपना नामांतरण कराने हेतु खसरे की नकल लेने पर दिनांक 18–5–2011 को होना दर्शाया गया है, जो कि विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि तहसीलदार के आदेश दिनांक 28–10–2000 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदिका द्वारा मृतक गुरूमेज कौर की भूमि सर्वे कमांक 691 व 729 पर नामांतरण हेतु वर्ष 2000 में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जबकि अनावेदिका को मृतक गुरूमेज कौर की सम्पूर्ण भूमि पर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करना था, स्पष्ट है कि अनावेदिका को वर्ष 2000 में ही नामांतरण पंजी कमांक 17 पर पारित आदेश दिनांक 2–6–1999 की जानकारी थी, इसीलिये उसके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तथ्यों एवं विधि के प्रावधानों की विस्तार से विवेचना कर स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि अनावेदिका द्वारा स्वयं यह स्वीकार किया गया है कि मृतक

भूमिस्वामी गुरूमेज कौर की तीन आराजियां थी, तब अनावेदिका द्वारा केवल एक आराजी पर ही नामांतरण हेतु आवेदन पत्र क्यों प्रस्तुत किया गया और उसके द्वारा अन्य आराजियों के सम्बन्ध में जानकारी क्यों नहीं ली गई । अनावेदिका द्वारा दिन—प्रतिदिन के विलम्ब का कारण भी नहीं दर्शाया गया है । 2000 आर0एन0 153 हरसिंह विरूद्ध दुल्ला में न्याय दृष्टांत 1999 एम.पी.जे.आर. 78 पर अवधारित होकर निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :—

" धारा 5 — विलम्ब की माफी — ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक पक्षकार को अनुचित सहूलियत नहीं दी जाए तथा अन्य का अहित नहीं हो । "

" धारा 5— अधिनियम का उपबंध — उद्देश्य— जिस पक्षकार के पक्ष में विनिश्चय है, उसे उसकी अंतिमता का अहसास हो— विलम्ब की माफी से ऐसी अंतिमता समाप्त हो सकती है । "

अतः उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में एवं उपरोक्त प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त के प्रकाश में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील अवधि बाह्य होने से निरस्त करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है । जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है कि अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में इस आशय का निष्कर्ष निकालते हुए कि चूंकि तहसीलदार द्वारा दिनांक 28—10—2000 को आदेश पारित कर अनावेदिका को गुरूमेज कौर की दत्तक पुत्री मानकर सर्वे कमांक 691,729 पर नामांतरण किया गया है, इसलिये अनावेदिका महिला होने से आश्वस्त रही कि उसका शेष भूमि पर नामांतरण हो जायेगा, अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को त्रुटिपूर्ण ठहराते हुए निरस्त किया गया है, जो कि पूर्णतः अनुचित कार्यवाही है, क्योंकि 11 वर्षो तक बिना किसी आधार के अनावेदिका का स्वतः नामांतरण हो जाने के सम्बन्ध में आश्वस्त रहना विश्वसनीय नहीं है । इसके अतिरिक्त तहसीलदार मृतक भूमिस्वामी की भूमि का दो भागों में नामांतरण क्यों करेंगे इस बिन्दु पर अपर आयुक्त द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है । अपर आयुक्त द्वारा नामांतरण पंजी कमांक 17 पर पारित आदेश दिनांक 2—6—1999 को इस आधार पर निरस्त किया गया है कि उक्त पंजी उपलब्ध नहीं है, जबकि आवेदक की ओर से तर्क के दौरान नामांतरण पंजी की सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है । यहां यह भी विचारणीय प्रश्न है कि अभिलेख सुरक्षित रखना

राजस्व न्यायालयों का दायित्व है, और इसके लिये पक्षकार को दण्डित नहीं किया जा सकता है । अतः उक्त आधार पर नामांतरण पंजी कमांक 17 पर पारित आदेश दिनांक 2–6–1999 को निरस्त करने में भी अपर आयुक्त द्वारा अवैधानिकता की गई है । दर्शित परिस्थितियों में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–4–2014 अवैधानिक एवं अनियमित होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–4–2014 निरस्त किया जाकर, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–9–2013 एवं सहायक बंदोबस्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 02–06–1999 स्थिर रखा जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर